

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्र संख्या – वा०कर१/वैट/विविध/५/२००८– ४२८४(ब्ल०)/राँची, दिनांक – २०/१०/२०१०
प्रेषक,

जे०बी०तुविद,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (अपील),
सभी अंचल प्रभारी।

विषय:- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 14 (12) (i) के अधीन ऑन-लाईन विवरणी समर्पित करने एवं तत्संबंधी मार्गदर्शन एवं प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय परिपत्र 2293 दिनांक 03.09.2009।
महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2006 से बिकी कर व्यवस्था के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली लागू की गयी है। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है ताकि स्वतः-स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर व्यवस्था स्थापित की जा सके। उक्त स्वचालित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के कम में, विभागीय प्रक्रियाएं यथा निवंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, वैधानिक प्रपत्रों का निर्गमन तथा संबंधित उपयोगिता विवरणी (Utilisation statement) प्राप्त करना, विवरणियों समर्पित करना तथा कर भुगतान को कम्प्यूटर जनित प्रक्रियाओं में परिवर्तित करना आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया के कम में विभाग द्वारा दिनांक 15.09.2009 के प्रभाव से ऑन-लाईन विवरणी समर्पित करने की योजना प्रारंभ की गयी है।

उक्त योजना को वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। अतः विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माह अक्टूबर, 2010 से Facilitation Centres के माध्यम से भी ऑनलाईन विवरणी समर्पित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

e-governance प्रक्रिया के अधीन Facility Centre (Common Service Centre) वह इकाई है जहाँ कम्प्यूटर उपकरण तथा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होती है। संबंधित व्यवसायीगण उक्त निर्धारित स्थान पर अपने विवरणियों को इंटरनेट के माध्यम से विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं तथा संबंधित रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 14 (12) (i) के प्रावधान के आलोक में ई-फाइलिंग (मूल एवं पुनरीक्षित विवरणियों) के उदेश्य हेतु निम्न मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

८.

1. ई-फाइलिंग की व्यवस्था झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29 के साथ पठित झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 14 के अधीन प्रावधानित मानी जायेगी।

2. विवरणियों की ई-फाइलिंग की व्यवस्था ऐसे सभी निबंधित व्यवसायियों के लिए अनिवार्य की जाती है जिनका वार्षिक सकल आवर्त $\text{₹ } 40$ लाख से अधिक है।

सभी अंचल प्रभारी अनिवार्य रूप से ऐसे व्यवसायियों की विवरणियों Online filing की व्यवस्था द्वारा ही प्राप्त करेंगे। $\text{₹ } 40$ लाख वार्षिक सकल आवर्त से कम सकल आवर्त वाले इच्छुक व्यवसायी भी Online Filing of Returns की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

माह अप्रैल, 2011 से सभी निबंधित व्यवसायियों के लिए विवरणियों की ऑनलाईन फाईलिंग अनिवार्य हो जाएगी।

3. व्यवसायियों द्वारा स्वतः ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया –

ऐसे व्यवसायी जिनके पास अपना IT infrastructure है, अपने कार्यालय अथवा आवास से स्वतः ऑनलाईन विवरणी दाखिल कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

I. जिन व्यवसायियों की वार्षिक सकल आवर्त $\text{₹ } 40$ लाख से अधिक है उन्हें अंचल प्रभारी के समक्ष आवेदन देकर ऑनलाईन फाईलिंग हेतु पहचान संख्या/पासवर्ड (Identification Number / Password) प्राप्त करना होगा। अंचल प्रभारी संबंधित व्यवसायी की जाँच कर, उक्त पहचान संख्या/पासवर्ड (Identification Number/Password) सीलबंद लिफाफे में निर्गत करेंगे।

II. उपर्युक्त तरीके से प्राप्त पहचान संख्या/पासवर्ड (Identification Number/Password) की सहायता से, पहली बार व्यवसायी विभागीय वेबसाईट <http://jharkhandcomtax.nic.in> या <http://www.jharkhand.gov.in> के पते पर Login कर सकते हैं। तदोपरांत व्यवसायी को अपना पासवर्ड परिवर्तित करना होगा अन्यथा वे ई-फाइलिंग नहीं कर पायेंगे। इस प्रासंगिक प्रक्रिया की पूरी जानकारी **online e-filing User Manual** के रूप में उपरोक्त वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में, व्यवसायी अपनी इच्छानुसार पासवर्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। उक्त पासवर्ड एक अत्यधिक सुरक्षित तथा गोपनीय कोड/मापदण्ड है जिसकी सुरक्षा/गोपनीयता की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित व्यवसायी की ही होगी। व्यवसायी द्वारा पासवर्ड के भूल जाने की स्थिति में, सॉफ्टवेयर द्वारा कतिपय जानकारियों प्राप्त कर पुनः पासवर्ड निर्गत करने की व्यवस्था है।

—

III. ई-फाइलिंग प्रणाली के अधीन व्यवसायी विवरणी समर्पित करने के उद्देश्य से विहित प्रपत्र JVAT 213, (मासिक विवरणी) JVAT 214 (मासिक विवरणी) एवं JVAT 200 (त्रैमासिक विवरणी), JVAT 204, (वार्षिक विवरणी) तथा केन्द्रीय बिकी कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के अधीन FORM I (Return of CST) में अपनी विवरणी विभाग को समर्पित कर सकेंगे। व्यवसायियों द्वारा अलग से हार्ड कॉपी में उपर्युक्त विवरणियों को समर्पित करना अपेक्षित नहीं होगा। किन्तु व्यवसायियों द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 14 (11) के अधीन वार्षिक विवरणी की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समर्पित करने के साथ-साथ ई-फाइलिंग के माध्यम से दाखिल सभी त्रैमासिक विवरणियों (JVAT 200) की लज्जाक्षरित प्रति भी समर्पित करनी होगी।

4. Facilitation Centre (Common Service Centre) के माध्यम से ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया –

ऐसे व्यवसायियों के लिए जिनके पास IT-infrastructure नहीं है, Online filing of Return की सुविधा देने हेतु विभाग द्वारा सभी अंचलों के क्षेत्राधिकार में Facilitation Centres (common Service Centres) – प्रज्ञा केन्द्रों की सुविधा प्राप्त की गयी है जिनके माध्यम से व्यवसायी विवरणियों की Online filing कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

- i. विभाग द्वारा अंचलवार Facilitation Centre का चुनाव किया गया है जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
चयनित Facilitation Centre का कार्य दिवस, सोमवार से शनिवार (घोषित सरकारी छुटियों के अतिरिक्त) होगी तथा कार्य अवधि पूर्वाहन 10.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक होगा।
- ii. ऑनलाईन रिटर्न दाखिल करने के लिए विभागीय सॉफ्टवेयर 'VICTORY' द्वारा सभी अधिकृत Facilitation Centre को ID/Password निर्गत किया जाएगा जिसके माध्यम से उक्त Facilitation Centre विवरणियों को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।
Facilitation Centre के माध्यम से ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने हेतु व्यवसायियों को Id/Password की आवश्यकता नहीं होगी।
- iii. उक्त Facilitation Centre (Common Service Centre) द्वारा विवरणियों के ऑनलाईन प्रेषण के उपरांत, उक्त प्रेषित विवरणी की एक प्रति व्यवसायी को हस्तगत कराई जाएगी जिसपर व्यवसायी हस्ताक्षर कर संबंधित Facilitation Centre को वापस करेंगे।
- iv. संबंधित Facilitation Centre के द्वारा, एक माह की अवधि में ऑनलाईन दाखिल की गई सभी विवरणियों की हस्ताक्षरित प्रतियों को समेकित रूप से संबंधित अंचल को हस्तगत कराई जाएगी ताकि Facilitation Centre द्वारा दाखिल की गई विवरणियाँ का प्रतिसत्यापन किया जा सके।
- v. Facilitation Centre के माध्यम से ऑनलाईन फाईलिंग की सुविधा ₹40 लाख से कम सकल आवर्त वाले सभी निबंधित व्यवसायियों के लिए भी ऐच्छिक रूप से उपलब्ध होगी।
लेकिन ₹ 40 लाख या उससे अधिक वार्षिक सकल आवर्त वाले व्यवसायियों के लिए ऑनलाईन फाईलिंग की अनिवार्यता बनी रहेगी।

5. ई-फाईलिंग के उद्देश्य हेतु (स्वतः अथवा Facility Centre के माध्यम से) निर्धारित तिथियों, नियम 14 में विहित तिथियों के समान रहेंगी। विहित समय पर विवरणियों की ई-फाईलिंग नहीं करने की परिस्थिति में धारा 30 (1) (c) के प्रावधान लागू होंगे तथा प्राधिकृत पदाधिकारी इस आशय तक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र एवं सक्षम होंगे।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर ई-फाईलिंग व्यवस्था की प्रक्रिया में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन
D.K.
प्रधान सचिव 10.10.2010 सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।